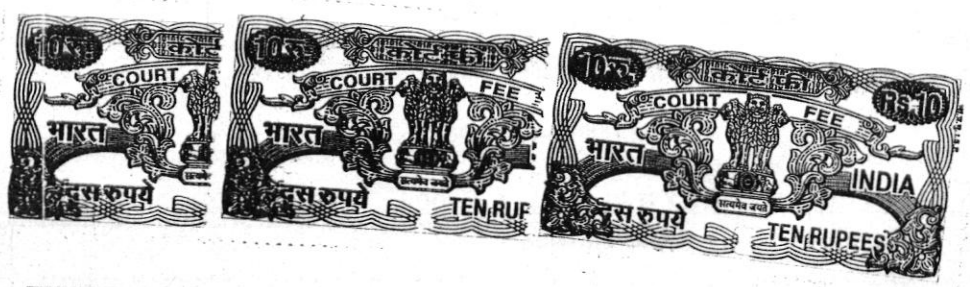

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा/2017/1989

रा.निगरानी क्रमांक ..../2017

भगवान प्रसाद **आत्मज** श्री देवी प्रसाद दुबे,

कृषक निवासी-ग्राम खण्डेरा तहसील व जिला-रायसेन ------आवेदक

श्री गुलाब सिंह चौहान

विरूद्ध

गणेशराम आत्मज श्री रामप्रसाद

ईश्वरी प्रसाद आत्मज श्री रामप्रसाद

3. पुरूषोत्तम आत्मज श्री रामप्रसाद ([illegible])

तीनों निवासीगण ग्राम-खण्डेरा,

तहसील व जिला रायसेन।

4. श्री

नायब तहसीलदार,रायसेन

5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा

द्वारा-कलेक्टर महोदय,रायसेन

-------अनावेदकगण

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता एवं सहपठित धारा 10 कोर्ट आफ फीस एक्ट

महोदयजी,

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील रायसेन द्वारा प्र.क्र.6/अ-70/11/12 (गणेशराम एवं 1 अन्य विरूद्ध भगवान प्रसाद) में की जा रही अवैधानिक कार्यवाही के आधार पर पारित अधिकारिता रहित आदेश दिनांक 15.05.2017 एवं की जा रही अवैधानिक कार्यवाही से दुखी एवं परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / रायसेन / भू.रा. / 2017 / 1989

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	